झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

(उद्यान निदेशालय)

कृषि भवन, कांके रोड, राँची।

फल–पौधा/ग्राफ्ट गुटी उत्पादन, रख–रखाव एवं संचालन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण।

1.1 राज्य के 11 जिले यथा राँची (खूँटी) सहित, लोहरदगा, गुमला, पूर्वी सिंहभू, सरायकेला, दुमका, पाकुड़, बोकारो, देवघर, गोड्डा एवं रामगढ़ जिलों में स्थापित प्रोजनीबाग एवं प्रखण्ड नर्सरी में उपलब्ध विभिन्न प्रभेदों के फल–पौधे के मातृवृक्षों से नई तकनीकी व्यवस्था को कायम कर उच्च गुणवत्ता के फल पौधे/ग्राफ्ट–गुटी उत्पादन कर स्थानीय कृषकों को निर्धारित न्यूनतम दर पर फल पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रोजनीबाग/नर्सरी की स्थापना की गई है।

1.2 इन पौधशालाओं के समुचित रख–रखाव, उच्च गुणवक्तायुक्त फल पौध/ ग्राफ्ट–गुटी उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था स्थापित कर स्थानीय कृषकों/सरकारी योजनाओं में न्यूनतम दर पर आपूर्त्ति करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित पौधशालाओं के सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव एवं उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौधे ग्राफ्ट–गुटी उत्पादन तथा व्यावसायिक संचालन हेतु अनुभवी एवं इच्छुक फर्म/एजेंसी/संस्था/संस्थान/कम्पनी से इच्छा की अभिव्यक्ति **दिनांक 25.02.2012 को 3.00** बजे तक आमंत्रित की जाती है।

2. **चयन हेतु पात्रता :**

2.1 इच्छुक फर्म / एजेंसी / निजी नर्सरी/संस्था / संगठन / कम्पनी का चयन उनके पूर्व के अनुभव, न्यूनतम उद्घृत दर, फल – पौधा उत्पादन विशेषज्ञता के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर निम्नप्रकार से किया जायेगा, जिसके समर्थन में समस्त प्रासंगित अभिप्रमाणित कागजात समर्पित किए जाने आवश्यक है :

2.1.1 उद्यानिकी क्षेत्र में कम से कम **न्यूनतम तीन वर्षो का अनुभव।**

2.1.2 विगत तीन वर्षो (वर्ष 2008–09, 2009–2010 एवं 2010–11) का **औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम पांच लाख** होना अपेक्षित है, जिस क्रम में प्रस्ताव के साथ अंकेक्षित बैलेंस शीट संलग्न की जानी अपेक्षित हैं।

2.1.3 फर्म / एजेंसी / निजी नर्सरी/संस्था / संगठन / कम्पनी को कम से कम **तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत** होना आवश्यक है।

2.1.4 फर्म / एजेंसी / निजी नर्सरी/संस्था / संगठन / कम्पनी के नाम से **सेवा कर संख्या/ पैन संख्या** अनिवार्य रुप से होना आवश्यक है।

2.1.5 फर्म / एजेंसी / निजी नर्सरी/संस्था / संगठन / कम्पनी किसी भी सरकार / संगठन के द्वारा **काली सूची में दर्ज न हो।** इस आशय का शपथ पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य हैं।

2.1.6 झारखण्ड राज्य में संस्था की उपस्थिति एवं कार्यकलाप से संबंधित दस्तावेज।

2.1.7 प्रस्तावित कार्यक्रम की **कार्य योजना।**

2.1.8 इच्छुक फर्म / एजेंसी / निजी नर्सरी/ संस्था / संगठन / कम्पनी के द्वारा बतौर सुरक्षित जमा रू0 20,000.00 का डिमाण्ड ड्राफट् आवेदन पत्र के साथ निदेशक, उद्यान, झारखण्ड के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

3. **<u>अनुबंध की अवधि :</u>**

3.1 चयनित संस्था के साथ प्रथमतः अनुबंध की अवधि 3 (तीन) वर्ष की होगी।

3.2 अनुबंध अवधि का विस्तार संस्था की उपलब्धि की समीक्षा के आधार पर अधिकतम अतिरिक्त पांच वर्षो के लिए वार्षिक विस्तारण आधार पर किया जा सकेगा।

4. **<u>अपेक्षित न्यूनतम सेवाएँ</u> :**

4.1

4.1.1 ग्रीन हाउस / पॉली हाउस में पुष्प उत्पादन।

4.1.2 ग्रीन हाउस / पॉली हाउस में रोपण सामग्री उत्पादन।

4.1.3 शेड नेट का रख- रखाव, सुरक्षा एवं संचालन।

4.1.4 सम्पूर्ण परिसर को सुसज्जित रखना एवं उसका रख- रखाव।

4.1.5 कृषकों / उधमियों एंव सरकारी - गैर सरकारी संस्थान के प्रशिक्षण, आदि की व्यवस्था।

4.1.6 ग्राफ्ट-गुटी एवं फल-फूल पौध उत्पादन एवं विपणन

4.1.7 स्थानीय कृषकों/उद्यमियों एवं सरकारी संस्थान द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं को निर्धारित दर पर पौध उपलब्ध कराना।

5. **<u>इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित करने की प्रक्रिया :</u>**

5.1 तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अनिवार्य रूप से दो अलग- अलग सीलबंद लिफाफे में समर्पित किए जाऐंगे।

पहले लिफाफे में निविदादाता की तकनीकी पृष्ठभूमि को उपर्युक्त कंडिका 2 तथा परिशिष्ट - I से परिशिष्ट - VII तक वर्णित विहित प्रपत्र में समस्त आवश्यक सूचनाएँ भरकर संलग्न करना होगा।

दूसरे लिफाफे में वित्तीय दर परिशिष्ट - VIII का उल्लेख होगा।

पहले लिफाफे के उपर **'तकनीकी बिड'** और दूसरे लिफाफे के उपर **'वित्तीय बिड'** अंकित कर उसे एक बडे लिफाफे में सीलबंद कर जमा किया जायेगा।

5.2 आवश्यक कागजातों / दस्तावेजों के बगैर प्राप्त आधे - अधूरे प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए जाऐंगे।

5.3 पैन कार्ड / टीन / वैट न0 / सेवा कर संख्या आदि से संबंधित कागजात अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना अपेक्षित हैं।

5.4 निदेशक उद्यान, झारखण्ड, रांची को बिना कारण बताये प्रस्ताव को स्वीकृत/अस्वीकृत/अंशतः स्वीकृत रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

5.5 चयनित फर्म/संस्था/निजी नर्सरी/कम्पनी का फल पौधा/ग्राफ्ट गुटी उत्पादन हेतु किये गए कार्य के विरूद्ध राशि भुगतान में सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत किये गए कार्य के विरूद्ध 75% राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा, शेष 25% राशि का भुगतान उत्पादित पौधों को विभाग को आपूर्त्ति करने के पश्चात किया जायेगा।

5.6 शुद्ध लाभ (net profit) में से लाभांश की राशि 50% बतौर प्रोत्साहन चयनित संस्था को देय होगी एवं 50% विभाग की हिस्सेदारी होगी जो भविष्य में रख–रखाव, सुरक्षा आदि के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन संस्था द्वारा परिक्रमी निधि के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी।

चयनित संस्था को लाभांश की राशि का भुगतान उक्त प्रोजनीबाग/प्रखंड नर्सरी के वार्षिक अंकेक्षण के पश्चात् अनुमान्य होगा ताकि शुद्ध लाभ (net profit) के संबंध में स्थिति स्पष्ट रहें।

5.7 प्रत्येक जिले हेतु अलग–अलग 2 आवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

5.8 निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

6.0 <u>सामान्य शर्ते :</u>

6.1 उद्यान निदेशालय, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड के द्वारा प्रत्येक प्रोजनीबाग एवं प्रखण्ड नर्सरी की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्वार हेतु समस्त आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6.2 **प्रत्येक प्रोजनीबाग/प्रखंड नर्सरी हेतु अलग–अलग इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित करना अनिवार्य है, जिसे मुख्य लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया जाना अपेक्षित है।**

उपर्युक्त कम में प्रोजनीबाग/प्रखंड नर्सरी की सूची (परिशिष्ट – IX) पर देखी जा सकती है।

6.3 चयनित संस्था के द्वारा प्रोजनीबाग एवं प्रखण्ड नर्सरी के संचालन– प्रबंधन, सुरक्षा, आदि की व्यवस्था की जानी है।

साथ ही कंडिका 4 में वर्णित विभिन्न कार्य कलापों हेतु आवश्यक मानव बल की भी व्यवस्था की जानी है, जिसके आलोक में वित्तीय बिड समर्पित की जायेगी।

इस कम में इस्तेमाल किए जाने वाले समस्त मानव बल की विस्तृत अनुभव विवरणी वित्तीय बिड के साथ समर्पित की जानी अपेक्षित है ताकि निविदा समिति के द्वारा निर्णय लेने में सहुलियत हो।

6.4 **न्यूनतम मानव बल :**

प्रत्येक प्रोजनीबाग एवं प्रखण्ड नर्सरी में निम्न वर्णित विवरणी के अनुसार न्यूनतम मानव बल का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाएगा ताकि निहित उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई अवरोध उत्पन्न न हो :

क्रमांक	मानव बल	संख्या
1	बागवानी विशेषज्ञ/पर्यवेक्षक	1
2	माली	2
3	सुरक्षा कर्मी	1
4	मजदूर	4

6.5 चयनित संस्था के लिए प्रत्येक वर्ष उद्यान निदेशालय के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले फल – पौधा/ग्राफट् गुटी का लक्ष्य वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पूर्व माह मार्च में किया जायेगा।

6.6 निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्य की वार्षिक कार्य योजना चयनित संस्था के द्वारा समर्पित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक माह का लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्णित होंगे। इस कार्य योजना का उद्यान निदेशालय के द्वारा माह अप्रैल के प्रथम पक्ष में समीक्षा करते हुए विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।

6.7 प्रत्येक तिमाही के निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि के अनुपात में संबंधित संस्था के द्वारा उद्धृत वित्तीय बिड में यथा – आवश्यक कटौती करते हुए उद्यान निदेशालय के द्वारा अनुमान्य राशि का भुगतान प्रतिवेदन तिमाही के एक पक्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रयोजन हेतु अप्रैल – जून, जुलाई – सितम्बर, अक्टूबर – दिसम्बर, जनवरी – मार्च की गणना तिमाही के रूप में की जाएगी।

6.8 उद्यान निदेशालय के द्वारा प्रत्येक प्रोजनीबाग/प्रखंड नर्सरी हेतु एक विभागीय प्रभारी पदाधिकारी/कर्मी को नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा चयनित संस्था के क्रियाकलापों पर नजर रखते हुए अनुश्रवण कार्य संपन्न किया जायेगा एवं प्रत्येक तिमाही में निदेशक उद्यान को प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

ऐसे नामित पदाधिकारी/कर्मी को संबंधित प्रोजनी बाग/प्रखंड नर्सरी, में कराये जा रहे कार्यो का निरीक्षण, संधारित अभिलेखों/कागजातों के परीक्षण, आदि का अधिकार सदैव सुरक्षित रहेगा।

6.9 चयनित संस्था के द्वारा प्रोजनी बाग/प्रखंड नर्सरी में कराये जाने वाले विभिन्न कार्यो हेतु क्रय किए गए बीज/ग्राफट, उर्वरक, कीटनाशक, आदि समस्त उपादानों को निदेशक उद्यान के द्वारा निदेशित स्थल जो यथा संभव संबंधित प्रोजनी बाग में ही अवस्थित हो में भंडारित किया जायेगा तथा ऐसी भंडार पंजी सदैव अद्यतन रखी जायेगी।

6.10 प्रोजनीबाग/नर्सरी में उत्पादित सामग्रियों का विपणन इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के द्वारा यथा निर्धारित दर पर दिया जायेगा। इस दर पर निर्धारण समिति में चयनित संस्था के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रहेगें।

7. **<u>प्रस्ताव पूर्व बैठक :</u>**

उपर्युक्त इच्छा की अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं पर विचार – विमर्श हेतु एक प्रस्ताव पूर्व बैठक (Pre Bid Meeting) दिनांक 27.02.2012 को 11.00 बजे आयोजित की गई है, जिसमें समस्त इच्छुक संस्थायें भाग ले सकती हैं।

8. **<u>प्रस्ताव जमा करने की तिथि</u>** :

8.1 पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव **28.03.2012 के अपराहन्/पूर्वाहन् 2.00 बजे** तक निदेशक उद्यान, कृषि भवन, कांके रोड राँची के कार्यालय में कूरियर / रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट / हाथों – हाथ जमा कराया जा सकते हैं, जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे विभागीय मूल्यांकन समिति के द्वारा खोले जाऐगे।

8.2 प्रस्ताव खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

8.3 प्रस्ताव में अपना ई – मेल एवं फोन न0 देना आवश्यक हैं। आवश्यकतानुसार विभागीय मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्ताव का presentation भी करना होगा।

8.4 मूल्यांकन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

9. आवेदक संस्था के द्वारा निदेशक उद्यान, झारखण्ड के नाम से रू0 2,000.00 (दो हजार रू0) मात्र का डिमांड ड्राफट् आवेदन शुल्क के रूप में जमा किया जाएगा।

10. आधे – अधूरे तथा नियत समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

11. इच्छा की अभिव्यक्ति निदेशक समिति, झारखण्ड, राँची के बेबसाईट www.sameti.org पर भी उपलब्ध हैं।

इच्छुक फर्म / एजेंसी / संस्था / संगठन / कम्पनी इसे वेबसाईट से डाउनलोड भी कर सकते हैं ।

किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी हेतु निदेशक, उद्यान, झारखण्ड से ई – मेल ddhranchi@rediffmail.com/ फोन नं0 0651- 2230691/ फैक्स नं0 0651- 2230691 पर सम्पर्क किया जा सकता हैं।

निदेशक उद्यान,

झारखण्ड, राँची।

प्रपत्र – I

परिशिष्ट – I

APPLICANT DETAILS

1.	Name of bidder	
2 (a)	**Address of bidder** Postal Address :	
(b)	Phone no:	
(c)	Fax no.	
(d)	E mail	
(e)	Website	
3(a)	Name of authorised signatory to bid	
(b)	Designation	
(c)	Phone (Landline) Phone (Mobile)	
(d)	Fax	
(e)	Email	
4	NAME, address, Tel No. Fax, email at which communication to be sent in respect of bid	
5	Names of the present Proprietors/ Partners/Board of Directors	
6	**Details of Registration**	
(a)	Nature of registration – Company/Society/Co-operative/Trust/Other	
(b)	Relevant registration act	
(c)	Registration no. and year	
7	**Pan no**.	
8	**Service Tax no.**	
9	**Details of EMD**	
(a)	Issuing bank, Branch and others	
(b)	DD No.	
(c)	Amount (in Rs.)	

<u>प्रपत्र – II</u>

परिशिष्ट – II

<u>सहमति प्रमाण – पत्र</u>

मैं .... (नाम) इस इच्छा की अभिव्यक्ति के आमंत्रण संबंधी सूचना में वर्णित समस्त शर्तों के अनुपालन तथा इस क्रम में विभाग के द्वारा दिए गए समस्त निदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर :

व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

संस्था का नाम :

<u>प्रपत्र – III</u>

परिशिष्ट – III

<u>संस्था प्राधिकार – पत्र</u>

मैं ....(नाम) यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं .... (संस्था का नाम), जो .... (अधिनियम) के अन्तर्गत निबंधित है का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता हूँ तथा इस इच्छा की अभिव्यक्ति संबंधी आवेदन समर्पित करने वाले व्यक्ति .... (नाम) को अपनी संस्था की ओर से विधिवत् प्राधिकृत करता हूँ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर एवं संस्था का मुहर

हस्ताक्षर :

व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

संस्था का नाम :

प्रपत्र – IV

परिशिष्ट – IV

The firms experience of the last five year in the field of assignment (Please also enclosed the supporting documents).

Sl. no.	Name of the project	Nature of the project	Name of the Department/Organization	Total cost of the project	Date of Commencement of the project	Status of the project	Remarks about the completion of the project by the concerned department
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>प्रपत्र – V</u>

परिशिष्ट – V

FORMAT OF CURRICULUM VITAE (CV) FOR CENTRE MANAGER/HORTICULTURE EXPERT

1. Proposed Position:

2. Name of Staff:

3. Date of Birth:

4. Nationality:

5.Educational Qualification:

6. Membership of professional societies:

7. Employment Record:

(List all positions held by staff member since graduation, giving dates, names of employing organization, title of positions held and location of assignments. For experience period of specific assignment must be clearly mentioned along with certificate for the Team Leader,).

8. Summary of the CV

(Furnish a summary of the above C V. The information in the summary shall be precise and accurate. The information in the summary will have bearing on the evaluation of the CV.)

A. Education:

(i) Field of Graduation and Year -

(ii) Field of post graduation and year –
(iii) Any other specific qualification -

B. Experience

(i) Total experience in Agribusiness Sector: …………Years.
(ii) Responsibilities held: ………...Years
(iii) Relevant Experience: ……….Years

C. Permanent Employment with the Firm (Yes/No):

If yes, how many years:
If no, what is the employment:
Arrangement with the firm

Certification:
1. I am willing to work on the project and I will be available for entire duration of the project assignment and I will not engage myself in any other assignment during the currency of his assignment on the project.

2. I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, this biodata correctly describes myself, my qualification and my experience.

Signature of the Centre Manager/Horticulture Expert___________
Place
Date

Signature of the Authorised Representative of the firm _________________
Place
Date

Note: Each page of the CV shall be signed in ink by both the staff member and the Authorized Representative of the firm. Photocopies will not be considered for evaluation.

<u>प्रपत्र – VI</u>

परिशिष्ट – VI

AFFIDAVIT

I, …………………………. S/o …………………… Director of ………. having its registered office at …………………. do hereby solemnly affirm and declare as follows:

1. That I have been authorized to execute this affidavit on behalf of this company by the Board of Directors vide its resolution passed on

2. That the Department of Agriculture & Sugar Cane Development, Government of Jharkhand vide advertisement published in various newspapers had invited Expression of Interest from Various Experience and Interested Firms/Agency/Institute/Company for operation –Production of Panting material in Jharkhand.

3. That in response to the said advertisement as stated in paragraph (2) above, our firm has submitted its proposal to the Director, Horticulture, Government of Jharkhand.

4. That the proposals of our firm M/s …………………… containing necessary information and particulars furnished as per given Performa, detailing therein :

a. Firm's general experience in the field of assignment / work.
b. The qualification and Competency of the personnel for the assignment.

That the statements made in paragraph 1 to 4 of the foregoing affidavit as above are true to my knowledge and belief and if anything is found contrary, I stand liable to be prosecuted under appropriate Act / laws in force.

Solemnly affirmed by the said ……… at ……………. on this the ……..day of ………..

Deponent :
Identified by me :

प्रपत्र – VII

परिशिष्ट – VII

AFFIDAVIT

I, -------------------------- S/o -- Director/ Proprietor of M/s.. having its Registered Office at .... do hereby solemnly affirm and declare as follows:

1. That I have been authorised to execute this affidavit on behalf of this Company/Firm by the Board of Directors vide its Resolution passed on ....
2. That the Department of Agriculture & Sugar Cane Development, Government of Jharkhand vide advertisement published in various newspapers had invited Expression of Interest from Various Experience and Interested Firms/Agency/Institute/Company for operation – Production of Panting material in Jharkhand.

3. That in response to the said Advertisement as stated in paragraph (2) above, our firm has submitted its Technical & Financial proposals to the, Director, Horticulture, Government of Jharkhand on ....

4. It is here that declare that (agency) or in its office bearer has never been black listed by Govt./Semi Govt. Agency and there is no legal action pending against the agency or any punishment order issued in any criminal proceeding against the same.

5. That Technical proposal of our firm M/s........................ containing necessary information and particulars furnished as per given proforma.

6. That the statements made in paragraphs 1 to 4 of the foregoing Affidavit as above are true to my knowledge and belief and if anything is found contrary, I stand liable to be prosecuted under appropriate Act/Laws in force. Solemnly affirmed by the said .... at ....on this the ....day of ....2011.

Deponent:

Identified by me:

प्रपत्र – VIII

परिशिष्ट – **VIII**

FINANCIAL BID

Sl.no.	Name of Item	Cost inclusive of all taxes etc.
I.	Annual cost for Operations and Management of Progeny bag/Nursery ....(name)	

II. Details of above expenditure :

Sl.no.	Component	Details	No.	Monthly	Annual Cost
		Horticulture Expert/Supervisor			
		Gardener			
		Security Staff			
		Labour			
2	Agency Supervision Charges				
3	Contingency (Phone, Fax, Travel, Stationery, etc)				
4	Miscellaneous (Please Specify)				
		Total :			

Rs... (in words).

प्रपत्र – IX

परिशिष्ट – IX

क्रमांक	जिला का नाम	ग्राफ्ट गूटी पौध उत्पादन लक्ष्य सं0 में	आवंट्ति राशि (लाख में)	प्रोजनीबाग का नाम	प्रखण्ड नर्सरी का नाम
1	राँची(खूँटी)	125000	31.25	सिल्ली	–
2	लोहरदगा	5000	1.25	–	लोहरदगा
3	गुमला	5000	1.25	–	गुमला
4	पूर्वी सिंहभूम	5000	1.25	–	टाटानगर
5	सरायकेला	80000	20.00	सरायकेला	–
6	दुमका	301000	7.50	सिलान्दा,	–
7	पाकुड	5000	1.25	–	पाकुड़
8	बोकारो	20000	5.00	–	चास
9	देवघर	35000	8.75	पालोजोरी	–
10	गोड्डा	60000	15.00	गोड्डा,	–
11	रामगढ़	30000	7.50	माण्डू	–
	कुल योग	**400000**	**100.00**	**6**	**5**